(ब)
12 (अ)
(ब)
13. (अ)
(ब) i
14. (अ)
(ब)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 21/2020
रजिस्ट्रेशन नं. :2020/00022

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री प्रियंक जैन पुत्र श्री नवरत्न जैन जाति जैन मालिक मैसर्स नवरत्न राजमल, मेन रोड कोटडा, मु.पो. कोटडा वाया अरथुना तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा
2. श्री नवरत्न जैन पुत्र श्री राजमल जैन जाति जैन मालिक मैसर्स नवरत्न राजमल, मेन रोड कोटडा, मु.पो. कोटडा वाया अरथुना तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी — श्री प्रियंक जैन, श्री नवरत्न जैन

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 08.07.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 02-06-2020 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 21-09-2019 को 04.20 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स नवरत्न राजमल, मेन रोड कोटडा वाया अरथुना तहसील अरथुना** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री प्रियंक जैन पुत्र श्री नवरत्न जैन** उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान पर लाल मिर्च पाउडर के 500 ग्राम वाले 8 पैकेट सील बन्द स्थिति में आम जनता को विक्रय हेतु पाये गए। इसके सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ, मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त लाल मिर्च पाउडर के 500 ग्राम वाले 4 पैकेट मूल ही सील बन्द स्थिति में जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 400 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2019 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने 2019 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नही किया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा लाल मिर्च पाउडर के 500 ग्राम वाले 4 पैकेट को चार साफ, सुखी व खाली गत्ते के चार बक्सो में (प्रत्येक में करीब 500 ग्राम का 1 पैकेट) बराबर-बराबर भरकर बक्सो का मुह टेप व ढक्कन की सहायता से एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट FSSA /2019/262 दिनांक 18.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया लाल मिर्च पाउडर मीसब्राण्डेड होना पाया गया है। विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) उल्लंघन किया है। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 एवं विक्रेता के पास मौके

पर खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु किसी प्रकार का लायसेंस रजिस्ट्रेशन नही पाया गया चुकि दुकानदार छोटा विक्रेता है । अधिनियम की धारा 31(2) के तहत खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जो विक्रेता के पास नही होने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन होने से उक्त अधिनियम की धारा 58 अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया। जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 03-06-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 08.07.2020 को अभियुक्त **श्री प्रियंक जैन व श्री नवरत्न जैन जाति जैन मालिक मैसर्स नवरत्न राजमल, मेन रोड कोटडा, मु.पो. कोटडा वाया अरथुना तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा** ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट FSSA /2019/262 दिनांक 18.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया लाल मिर्च पाउडर मीसब्राण्डेड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः मीसब्राण्डेड पाया गया लाल मिर्च पाउडर विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 एवं विक्रेता के पास मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु किसी प्रकार का लायसेंस रजिस्ट्रेशन नही पाया गया चुकि दुकानदार छोटा विक्रेता है । अधिनियम की धारा 31(2) के तहत खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जो विक्रेता के पास नही होने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन होने से उक्त अधिनियम की धारा 58 अन्तर्गत के तहत् आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री प्रियंक जैन व श्री नवरत्न जैन जाति जैन मालिक मैसर्स नवरत्न राजमल, मेन रोड कोटडा, मु.पो. कोटडा वाया अरथुना तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा** को क्रमशः रुपये 5000 – 5000 कुल रूपये 10000/– (अक्षरे रू. दस हजार) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।

नरेश

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.07.13 11:15:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: